

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगाह (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शिकिया.....)



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 319/25 तार दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27.9.2025

क्र.सं..	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शिकिया</u>	<u>204</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन का अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शिकिया</u> प.ह. <u>शिकिया</u> खालास <u>204</u> में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>
	हस्ताक्षर पदवी	हस्ताक्षर गिरदा	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
 1. पटवारी पटवार मण्डल शिकिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।
 तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-वित्तौडगाह

तहसीलदार कपासन